न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील / डिक्री / टी ए / 3607 / 2004 / हनुमानगढ

1. पूर्णराम पुत्र कालू
2. कुरडाराम पुत्र कालू
3. भादर पुत्र कालू
   समस्त जाति धानक हरिजन, निवासी ग्राम जबरासर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़
4. बुद्धराम पुत्र अमीलाल जाति धानक हरिजन, निवासी मिठराणा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़
5. मु0 दाखी पुत्री कालू पत्नी सोहत
6. मु0 गंवरा पुत्री कालू पत्नी पूरणाराम
   समस्त जाति धानक हरिजन, निवासी ग्राम सुरपुरा, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़
7. राजेन्द्र पुत्र भालाराम पुत्र कालूराम
8. मदनलाल पुत्र नानू
9. लीलूराम पुत्र नानू
10. मखनलाल पुत्र नानू
11. मु0 फातो बेवा नानू
12. जैसा पुत्र नानू
    समस्त जाति धानक हरिजन निवासी ग्राम जबरासर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. हसंराम पुत्र पूराराम चमार(मृतक) जरिये वारिसान–
   - 1/1 श्रीमती कमला बेवा हंसराम
   - 1/2 श्रवण पुत्र हंसराम
   - 1/3 रामकुमार पुत्र हंसराम
   - 1/4 शंकर पुत्र हंसराम
   - 1/5 मीरा पुत्री हंसराम
   - 1/6 सरोज पुत्री हंसराम
2. मु0 गौरा बेवा अनुराम
3. देईराम पुत्र अनुराम
4. उमाराम पुत्र अनुराम
5. कृष्ण पुत्र अनुराम (नाबालिग) जरिये संरक्षक माता गोरा समस्त निवासी ग्राम जबरासर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री मुकेश कुमार शर्मा अध्यक्ष
श्री नत्थू राम सदस्य

उपस्थित
श्री पूर्णाशंकर दशौर अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री अमृतपाल सिंह वानर अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः 12.6.19

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के अपील संख्या 50 / 99 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–10–2002 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण वादीगण ने अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद बाबत अधिनियम की धारा 88,91 व 188 के तहत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल 11 तनकीयात कायम की और अपने निर्णय दिनांक 20–2–98 के द्वारा वाद वादीगण डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होनें अपने निर्णय दिनांक 11–10–2002 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जबाब दावे में स्पष्टतः वर्णित किया था कि वादीगण ने इसी आराजी का इसी नेचर का वाद समान पक्षकारान के मध्य उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो दिनांक 17–12–99 को अदम हाजरी में खारिज हुआ। इसलिये अब यह वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है। जबाब दावे में उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक उज्र के होते हुये न तो इस बिन्दु पर तनकी बनाई गई एवं न ही इस बिन्दु पर कोई विवेचन किया गया जबकि एक बार वाद अदम हाजरी में खारिज हो चुका था तो आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी में वर्णित विधिक प्रावधानानुसार उक्त वाद को ही रेस्टोर करवाने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती है। नया दावा नहीं लाया जा सकता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 को एक दूसरे से सम्बन्धित मानकर एक साथ निर्णित किया है। तनकी संख्या 1 में वादीगण को साबित करना था कि हाल परिवर्तित खसरा नम्बर 112 / 1044 रकबा 18 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार वादीगण हैं एवं राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम हजफ कराकर अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। इन दोनों तनकीयात को साबित करने का दायित्व वादीगण पर था। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी का निवेदन है कि खसरा नम्बर 90 एक बडा रकबा है जो 800–900 बीघा का है तथा उक्त खसरा नम्बर की मात्र 17 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त था। उन्होंने कब्जा नहीं होते हुये भी खसरा गिरदावरियों में 40 बीघा भूमि का अपने नाम अंकन करा लिया जो कि गलत था। उक्त तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध खसरा मिलान की नकल से बखूबी साबित है। उक्त दस्तावेज में 18 बीघा भूमि अपीलार्थी के पूर्वज कालू पुत्र श्योजी के नाम

दर्ज थी तथा प्रत्यर्थी हंसराज पुत्र पूरा के कब्जे में मात्र 13 बीघा भूमि अंकित थी जो उसके पास खसरा नम्बर 116 में दर्ज है। परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कब्जे के विपरीत निर्मित खसरा गिरदावरियों को अत्यधिक महत्व देकर जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण का यह भी तर्क है कि उनका सम्वत् 2012 से पूर्व से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा है तथा विधिवत तौर पर राजस्व रेकार्ड में उनका नाम चला आ रहा है। उक्त भूमि से प्रत्यर्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। दावा दायरी के दिन व पिछले 50 वर्षो से वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। प्रत्यर्थीगण वादीगण ने कब्जा प्राप्ति हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये बिना कब्जेयावी के वाद के मात्र खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं था। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 1991 पेज 410, आर आर डी 1989 पेज 527,774, आर आर डी 1992 पेज114, आर आर डी 1998 पेज 319, आर आर टी 2004(1) पेज 374, आर एल डब्लू 2009(1) पसेज 151, आर आर टी 2016(2) पेज 1378, आर आर टी 2017 (2) पेज 1104 की नजीरें पेश की।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से जो दस्तावेज पेश किये गये हैं वह भू प्रबन्ध की पैमाइश के बाद के हैं। भू प्रबन्ध के दौरान ही भूमि अपीलार्थी के पूर्वज के नाम दर्ज की गई थी। वाद पत्र में प्रत्यर्थीगण का यह स्पष्ट कथन रहा है कि भू प्रबन्ध के कर्मचारियेां ने गलत रूप से भूमि अपीलार्थी के नाम दर्ज की है। भू प्रबन्ध विभाग को सक्षम न्यायालय के आदेश

के बिना पूर्व अंकन को परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–1 रिपोर्ट तहसीलदार नोहर दिनांक 19–12–79 से यह साबित है कि सम्बत 2012–15 में खसरा नम्बर 90 में अपीलार्थी के पूर्वज कालू के नाम से कोई भूमि दर्ज नहीं थी। प्रदर्श पी–2 नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2054 में खसरा नम्बर 90 में 40 बीघा भूमि प्रत्यर्थीगण के पूर्वज पूराराम के नाम से दर्ज है। प्रत्यर्थीगण के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही उक्त भूमि के खातेदार दर्ज हैं। पूर्व वाद हंसराज बनाम कालूराम वाद संख्या 217 / 78 दिनांक 17–12–79 को अदम पैरवी में खारिज किया गया था जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया गया है। इसलिये आदेश 9 नियम 9 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों से उक्त वाद प्रभावित नहीं होता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विस्तृत विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। इन्होंने अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोंकन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. सर्वप्रथम हम विचारण न्यायालय के समक्ष उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करना उचित समझते हैं। प्रत्यर्थीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल खसरा गिरदावरी सन 1954 व 1955, गिरदावरी सम्बत 2015, 2018, 2019, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2015 व 2017 से 2019, 2024–2027, 2028 से 2030, नकल ढालबांछ सम्बत 2020, 2025, 2030, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2015, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2036 व 2037, रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 19–2–79 पेश किये गये हैं। उक्त

दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि साबिक खसरा नम्बर 90 की 40 बीघा भूमि प्रत्यर्थीगण वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज होना प्रमाणित होता है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 112 / 1044 रकबा 18 बीघा भूमि अपीलार्थी प्रतिवादीगण के नाम सर्वप्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033 में अंकित हुई है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033 में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 112 / 1044 अपीलार्थी के पूर्वज कालू के नाम से दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2015 प्रदर्श–डी–8 में वादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थीगण के पूर्वज पूराराम के नाम दर्ज है। इसी अनुसार प्रदर्श डी–9 में भी पूराराम के नाम दर्ज है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाइश करने से पूर्व अपीलार्थी अथवा उसके पूर्वजों के नाम से साबिक खसरा नम्बर 90 में कोई भूमि दर्ज नहीं थी। अपीलार्थी प्रतिवादी ने अपने जबाब दावे में भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 90 रकबा 800–900 बीघा का था जिसमें कई काश्तकार ऐसे थे जो काश्त तो खसरा नम्बर 90 में करते थे व गिरदावरी अन्य खसरा में होती थी तथा प्रतिवादी भी ऐसा ही काश्तकार है। इसके अलावा इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पैमाइश के दौरान सन 1973–74 में पर्चा लगान प्रतिवादी के नाम से जारी हुआ था। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई पैमाइश व पर्चा लगान जारी करने से पूर्व अपीलार्थी प्रतिवादीगण के नाम से खसरा नम्बर 90 में कोई भूमि दर्ज नहीं थी। भू प्रबन्ध को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं है। उसे पुराने इन्द्राजात को ही दोहराने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्यर्थीगण साबिक खसरा नम्बर 90 में 40 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार थे। प्रत्यर्थीगण ने इस तथ्य को भी साबित किया है कि 40 बीघा के 2 खेत थे। प्रत्यर्थीगण

के कब्जे काश्त की भूमि के दो खसरा नम्बर 116व 112 / 1044 बने है। इसलिये प्रत्यर्थीगण वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार होना प्रमाणित है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किये है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें बिना किसी ठोस आधार के द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :—

> Second appeal- Relief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.
> RRT 2001 page 883- Rajasthan Tenancy Act1955- Section 224readwith Section100,Code of Civil Procedure 1908-Both the lower Courts has concurrently on facts held that the plaintiff is not tenant and he has not acquired title by sale deed- Therefore in this second appeal unless it is found that the findigs recorded are illegal or perverse in nature, till then this court should not disturb the concureent findings recorded by the Court below as held in AIR1959S.C.page 57- Hence this second appeal was dismissed.

8. उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नत्थू राम)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष